

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती इन्दिरा

बनाम

रामचन्द्र

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 276/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/06/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>इन्दिरा</u></p> <p>पति श्री <u>सुरेश कुमार इनामी</u></p> <p>निवासी <u>कुमानगर चित्तौड़गढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>बोजुन्दा (पण्डा सहवा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>372</u> <u>284</u> <u>0-3700</u> <u>10300</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> कुल रकबा <u>1.4000</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी को आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बोजुन्दा (पण्डा सहवा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>372</u> <u>284</u> <u>0-3700</u> <u>10300</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> रकबा <u>1.4000</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500/-</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (रामचन्द्र खट्टी) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p>